केवल शासकीय प्रयोग हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

नगरीय निकाय निर्वाचन

मतगणना अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका–2022

राज्य निर्वाचन आयोग
(पंचायत एवं नगरीय निकाय निकाय),
उत्तर प्रदेश,
पी0सी0एफ0 भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

प्रस्तावना

निर्वाचन स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराना राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है। निर्वाचन संचालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में मतगणना प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में तीनों श्रेणी के नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम) के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन यथासमय कराये जाते हैं। इन निर्वाचनों में मतगणना प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्मिकों के मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस निर्देश पुस्तिका में यह प्रयास किया गया है कि मतगणना की कार्यवाही एवं संचालन से सम्बन्धित सभी प्रावधान एवम् इस सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सके। इस निर्देश पुस्तिका को जारी करते हुए निर्वाचन संचालन में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों, विशेषकर मतगणना का कार्य देख रहे अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मतगणना के समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्थित निर्देशों के अतिरिक्त आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवम् आदेशों के अनुरूप मतगणना की कार्यवाही इस तरह से सम्पादित करेंगे कि न केवल इससे मतगणना सम्बन्धी कार्यवाही की पारदर्शिता झलके, बल्कि इसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो।

मुझे आशा है कि यह निर्देश पुस्तिका रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, मतगणना कार्मिकों तथा निर्वाचन एवं मतगणना कार्य में लगे अन्य सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों के पालन में तथा प्रदत्त कार्यों के सम्पादन में उपयोगी सिद्ध होगी।

मनोज कुमार
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

1— मतगणना

भारत के संविधान के अनुच्छेद—243 यक सपठित अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित सभी नगरीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों) के निर्वाचनों की मतगणना की विधिवत् कार्यवाही व उसके समुचित संचालन की जानकारी होना आवश्यक है। मतगणना के कार्य को अत्यन्त व्यवस्थित, शान्तिपूर्ण और सुचारू रूप से सम्पादित कराना रिटर्निंग अधिकारी का कर्तव्य एवं दायित्व है। मतगणना प्रबन्ध, मतगणना कार्य का अत्यावश्यक अंग है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवम् उक्त अधिनियमों के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के अन्तर्गत नगरीय निकायों के निर्वाचन का कार्य सम्पन्न होता है। नगर निगम में महापौर तथा पार्षदों और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में अध्यक्ष तथा सदस्यों के निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण में कराए जाते हैं। जनपद में स्थित निकायों में दोनों निर्वाचनों के एक साथ होने से निर्वाचक को एक साथ दो मतपत्र दिए जाते हैं। उसी क्रम में मतगणना भी अध्यक्ष/सदस्य तथा महापौर/पार्षद के पदों के लिए एक साथ होती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित दिनाँक को रिटर्निंग अधिकारी मतगणना प्रारम्भ कराएंगे। मतगणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन की जाएगी और आयोग द्वारा निर्धारित समय पर प्रारम्भ करके यथासम्भव शीघ्र समाप्त की जाएगी।

2— मतगणना हेतु समय, स्थान और दिनाँक का नियत किया जाना

(1) रिटर्निंग अधिकारी मतदान समाप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा यथा नियत मतगणना का दिनाँक परिनिश्चित करेगा और ऐसा स्थान तथा समय नियत करेगा जिस स्थान तथा समय पर मतगणना की जाएगी।

(2) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनाँक, समय और स्थान के सम्बन्ध में सूचना देगा तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएगा।

(3) यदि मतगणना हेतु इस प्रकार नियत किए गए समय पर परिगणित किए जाने वाले मतों से यथास्थिति अन्तर्विष्ट/अभिलिखित मतपेटिकाएं/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की जाती हैं या यदि किसी अन्य अपरिहार्य कारण से गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह मतगणना को अन्य दिनाँक तक के लिए टाल सकता है और इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से समय और स्थान को नियत कर सकता है और तत्सम्बन्ध में सूचना, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को दे सकता है।

निर्वाचन के पूर्व ही मतगणना केन्द्रों का चिह्नीकरण किया जाएगा किन्तु यह ध्यान रखा जाए कि जिला मुख्यालय पर स्थित नगरीय निकायों की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा तहसील सीमा में आने वाली निकायों की मतगणना तहसील मुख्यालय पर सम्पन्न कराई जाए अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी

(पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जाएगी। यदि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझें तो एक से अधिक तहसीलों की मतगणना का कार्य इनमें से किसी एक तहसील मुख्यालय पर करा सकते हैं।

3— मतदान स्थलों से प्राप्त मतपेटिकाओं की जाँच

रिटर्निंग अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह यथासम्भव शीघ्र ही जाँच कर लें कि यथास्थिति सभी मतदान स्थल की मतपेटिकाएं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ठीक स्थिति में प्राप्त हो गई हैं ताकि निर्धारित दिनाँक व समय पर मतगणना का कार्य प्रारम्भ हो सके।

4— मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण तथा अन्य प्रबन्ध

(1) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मतगणना के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा आवश्यक कार्मिकों की संख्या का पहले ही आंकलन करा लें और तदनुसार उनकी व्यवस्था करके यह सुनिश्चित कर लें कि सभी सम्बन्धित कर्मचारीगण तथा अधिकारीगण निर्धारित स्थान पर समय से उपस्थित हों। प्रत्येक मतगणना मेज पर 01 गणन पर्यवेक्षक एवं 03 गणन सहायकों की आवश्यकता होगी। मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति जनपद स्तर पर उपलब्ध डाटा बेस से रैण्डमाइजेशन के आधार पर की जाए। मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति उनके निवास के विधान सभा क्षेत्र में नहीं की जाएगी परन्तु यह प्रतिबन्ध महिला कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। किसी भी विभाग के दो से अधिक अधिकारी/कर्मचारी एक मतगणना दल में नहीं रखे जाएंगे। नियुक्ति आदेश में विभाग का नाम व मतगणना दल की संख्या अंकित की जाएगी। मतगणना कार्य में केवल सरकारी, अर्द्ध सरकारी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित निगमों, प्राधिकरणों, वोर्ड व फेडरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाई जाए। नगरीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी भी मतगणना कार्य में न लगाई जाए। गणन पर्यवेक्षक का स्तर (पद/वेतनमान इत्यादि) यथासम्भव मतगणना कार्मिकों से एक स्तर उच्च होगा। प्रत्येक मतगणना मेज पर पर्यवेक्षक के पद पर अवर अभियन्ता, सहायक विकास अधिकारी, सहायक लेखाकार और इसी स्तर के अन्य कार्मिक तैनात किए जाएंगे। मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण के समय नगरीय निकायों की जानकारी दे दी जाएगी तथा मतगणना कार्मिकों को मतगणना मेज (वार्ड एवं मतदान स्थल) की जानकारी नियत मतगणना तिथि को प्रातः 6 बजे मतगणना स्थल पर दी जाएगी। मतगणना दल के गठन की सूचना की प्रति सभी सम्बन्धित मतगणना दल के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए।

(2) रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के सहायतार्थ उनके साथ आवश्यकतानुसार दो–तीन लिपिक रहेंगे। मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के द्वारा मतगणना प्रक्रिया तथा तद्विषयक व्यवस्था के सम्बन्ध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें मतगणना कार्मिकों के अतिरिक्त सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान समस्त सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को इस पुस्तिका में दिए

गए निर्देशों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए अन्य सम्बन्धित निर्देशों से समुचित रूप से अवगत कराया जाएगा। सभी निकायों में नियुक्त मतगणना कार्मिकों का पूर्वाभ्यास जनपद मुख्यालय पर कराया जाएगा।

(3) नगरीय निकायों में प्रत्याशियों एवं गणन अभिकर्ताओं की संख्या काफी अधिक होती है जिसके कारण मतगणना केन्द्रों पर अधिक संख्या में प्रत्याशियों एवं अभिकर्ताओं के आने के कारण उन्हें मतगणना कक्षों की जानकारी प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। अतः मतगणना केन्द्रों पर नगरीय निकायवार एवं वार्डवार जिन–जिन कक्षों में मतगणना होगी उसका मानचित्र तैयार कर मतगणना परिसर के प्रमुख स्थलों पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाए जिससे प्रत्याशियों/मतगणना एजेण्टों व मतगणना कार्य में लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को मतगणना कक्ष एवं मेजों पर पहुँचने में असुविधा न हो।

5– मतगणना में प्रयुक्त होने वाले सामान

सामान्यतया मतगणना के लिए निम्नलिखित सामान की आवश्यकता होगीः–

(1) मेज पर मतगणना की व्यवस्था हेतु

(i)	पेंसिल	– 02
(ii)	बाल पेन	– 05
(iii)	कागज (फुल स्केप)	– 10 पन्ने
(iv)	गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी	– 04
(v)	सुतली	– 250 ग्राम (लगभग)
(vi)	रबड़ बैंड	– 50 ग्रा0 (लगभग)
(vii)	पेपरवेट या पत्थर के छोटे टुकड़े	– 04
(viii)	मतगणना प्ररूप एवं प्ररूप–30 (मतपत्र लेखा), परिशिष्ट–44 व 45	– आवश्यक्तानुसार
(ix)	मतगणना पर्चियाँ	– 100

(2) मतपत्रों आदि को गणना के बाद सील करने की व्यवस्था हेतु

(i)	मतपत्रों की पैकेटिंग के लिए बांसी कागज	– आवश्यकतानुसार
(ii)	धागा	– 01 गोला
(iii)	ब्लेड	– एक
(iv)	सूजा	– एक
(v)	सीलिंग मैटेरियल चपड़ा	– 200 ग्राम
(vi)	मोमबत्ती	– 10
(vii)	ट्रे	– एक (यदि उपलब्ध हो)
(viii)	निर्वाचन परिणाम की पंजिका	– एक (प्ररूप–44)

(ix) रबर स्टैम्प (परिशिष्ट–42 के अनुसार) – एक

(x) ब्रास सील – एक

(xi) स्टैम्प पैड बड़ा – एक

(xii) कैलकुलेटर (आर0ओ0 हेतु) – एक

मतगणना के दौरान जो मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किए जाने योग्य पाए जाते हैं उन्हें अस्वीकार किए जाने के लिए विभिन्न कारणों को दर्शाने वाली रबर की मुहरों (परिशिष्ट–42 में दिए गए नमूने के अनुसार) की व्यवस्था कर ली जाए। इन रबर की मुहरों को स्थानीय स्तर पर जनपद में ही तैयार कराया जा सकता है।

6– मतगणना केन्द्र का बनाया जाना

(1) नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य पद की मतगणना वार्डवार तथा मतदान स्थलवार एक साथ की जाएगी। प्रत्येक नगरीय निकाय की मतगणना हेतु चयनित मतगणना केन्द्र पर कक्षों एवं मतगणना मेजों का चयन नगरीय निकाय में कुल मतदान स्थलों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। एक मतगणना मेज पर सामान्यतया 05 मतदान स्थलों के मतों की गणना करना उपयुक्त होगा। यह ध्यान रखा जाए कि किसी वार्ड के सभी मतदान स्थलों के मतों की गणना एक या दो मेजों पर ही कराई जाए। उदाहरणार्थ यदि किसी वार्ड में 08 मतदान स्थल हैं तो दो मेजों पर 04 मतदान स्थलों की गणना कराई जा सकती है। इसी प्रकार यदि किसी वार्ड में 03 मतदान स्थल व एक अन्य वार्ड में 02 मतदान स्थल हैं तो इन दोनों वार्डों के मतों की गणना एक मेज पर कराई जा सकती है। मतगणना स्थल पर स्ट्राँग रूम ऐसे तैयार किए जाएं कि उसके नजदीक ही मतगणना हेतु कमरे हों तथा स्ट्राँग रूम के बगल में ही एक कमरा सुरक्षा कर्मियों के लिए भी उपलब्ध हो। एक मतपेटिका रखे जाने हेतु न्यूनतम 03 वर्ग फिट जगह की आवश्यकता होगी, तदनुसार स्ट्राँग रूम का निर्धारण किया जाए। मतगणना हेतु जनपद/तहसील मुख्यालय पर चिह्नित किए गए मतगणना केन्द्र पर 6X3 फिट अथवा 5X3 फिट की एक मतगणना मेज बनाते हुए वार्डों की संख्या व उनमें मतदाताओं की संख्या के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार मतगणना मेजें लगाई जा सकती हैं। 5X3 फुट की दो मेजें रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा उनके सहायक स्टाफ के बैठने के लिए लगाई जाए तथा मतगणना मेजों के निकट उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए भी स्थान सुरक्षित रखा जाए। प्रत्येक मतगणना मेज पर एक कुर्सी गणन पर्यवेक्षक तथा 03 कुर्सियाँ गणन सहायकों के लिए लगाई जाएंगी।

(2) मतगणना हेतु इस प्रकार मेजों का निर्धारण किया जाए कि मतगणना 8–10 घन्टे में समाप्त हो जाए। मतगणना हेतु द्वितीय शिफ्ट की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में यदि अपरिहार्य हो तो आयोग से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

(3) मतगणना हाल के अन्दर रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर लाउडस्पीकर सेट होगा जिसके दो स्पीकर हाल/पंडाल के बाहर स्थापित किए जाएंगे। मतगणना हाल के अन्दर आने जाने वाले रास्ते पर फोकस लाइट लगाकर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) मतगणना हाल में अन्दर आने वाला एक ही रास्ता रखा जाएगा और उक्त हाल सभी ओर दीवार अथवा कनात से घिरा रहेगा। हाल के अन्दर दोनों तरफ दोहरी बल्ली लगाकर 8′–8′ गलियारा रखा जाएगा जो गणन अभिकर्ताओं के बैठने के लिए अथवा खड़े होने के लिए निश्चित रहेगा। एक मतगणना मेज पर 4 कुर्सियाँ होंगी, एक गणन पर्यवेक्षक के लिए तथा 3 गणन सहायकों के लिए। अन्दर आने वाले रास्तों के विपरीत दिशा में कोने में दरी बिछाकर मतों की गणना तथा अपेक्षित पैकेटों को सीलबन्द करने की व्यवस्था होगी। हाल में दोनों तरफ मतगणना मेजें लगाई जाएंगी। बीच में 8 फुट का रास्ता और मतगणना कार्य में लगे कर्मियों तथा अन्य स्टाफ के चलने–फिरने के लिए छोड़ा जाएगा। प्रकाश के लिए प्रत्येक मेज पर एक ट्यूब लाइट और एक बल्ब की व्यवस्था होगी। मतगणना हाल में एक जनरेटर या पर्याप्त मात्रा में इमरजेन्सी लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी तथा उसके लिए अपेक्षित मात्रा में डीज़ल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था मतगणना अवधि में लगातार जारी रहेगी। बीच के रास्ते में 3 बल्ब की व्यवस्था होगी। रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर भी एक ट्यूब लाइट तथा दो बल्बों की व्यवस्था होगी। मेजों पर पैकेटों को सील करने के स्थान पर भी एक बल्ब की व्यवस्था होगी। मतगणना हाल के अन्दर आने–जाने के रास्ते पर दो फोकस लाइट व अन्य 3 कोनों पर 3 फोकस लाइट को मिलाकर कुल 5 फोकस लाइटों की व्यवस्था होगी। नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जहाँ मतगणना का कार्य दिन के प्रकाश में प्रातः काल 8 या 9 बजे से प्रारम्भ होकर 4–5 घण्टे में ही समाप्त हो सकता है, वहाँ इस प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अथवा उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर से आवश्यकता का आंकलन कर लेंगे। गणन अभिकर्ताओं के लिए निर्धारित स्थान पर आवश्यकतानुसार (10 छोटी कुर्सियाँ प्रति मेज) कुर्सियों की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(5) मेजों को हाल के प्रवेश द्वार से दूर रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी की मेज ऐसे स्थान पर होनी चाहिए ताकि वह पूरी व्यवस्था को भली भांति देख सकें और उसके निकट उम्मीदवारों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के बैठने के लिए यथासम्भव स्थान की व्यवस्था की जा सकती है। मतगणना कक्ष में बैठने की व्यवस्था यथासम्भव परिशिष्ट–43 में दर्शाये गए चित्रानुसार की जाए।

(6) रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना शुरू होने से पहले ही हाल का निरीक्षण कर लें जिसके बाद मतगणना प्रारम्भ की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लें कि कमरे के भीतर कोई फटे कागज आदि न पड़े हों। रिटर्निंग अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि जब मतगणना हो रही हो तो गणना करने वाले कोई कर्मचारी रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना कमरे से बाहर न जाऐं। निःसंदेह यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई व्यक्ति अपने साथ मतपत्र तो नहीं ले जा रहा है।

7– मतगणना स्थान पर उपस्थित रहने वाले अधिकृत व्यक्ति

(1) रिटर्निंग अधिकरी ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर, किसी व्यक्ति को मतगणना के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा नहीं देगा, जैसा कि वह मतगणना में उसकी,

प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं और उसके गणन अभिकर्ताओं की सहायता करने के लिए नियत करे। मतगणना हाल के अन्दर निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं :–

(i) मतगणना कार्मिक,

(ii) राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(iii) निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक,

(iv) उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणन अभिकर्ता में से एक समय में कोई एक व्यक्ति प्रत्येक मतगणना मेज पर, और

(v) मतगणना करने में अपनी सहायता के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति।

यदि मतगणना कक्ष में उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हों तो मतगणना प्रारम्भ करने के पूर्व उन्हें कक्ष से बाहर कर दिया जाए एवं मतगणना केन्द्र पर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दे दिया जाए कि वह उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को अन्दर न आने दें। कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों का भी बार बार अन्दर बाहर आवागमन नियन्त्रित करें।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या वह उस अभ्यर्थी के लिए अन्यथा कार्य कर रहा हो, को मतगणना में रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्ति व उनके साथ वाले सुरक्षाकर्मी मतगणना स्थल/पण्डाल में प्रवेश हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो मतों की गणना के दौरान दुराचरण करता है या रिटर्निंग अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, उसे उस स्थान से जहाँ पर मतों की गणना की जा रही हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या ड्यूटी कर रहे किसी पुलिस अधिकारी के निर्देशित किए जाने पर उसके द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

(5) मतगणना पण्डाल/हाल में उसी नगरीय निकाय के चेयरपरसन पद के उम्मीदवार/गणन अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता और सदस्य/पार्षद पद हेतु उसी वार्ड/वार्डों के उम्मीदवार/गणन अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता रह सकेंगे जिस वार्ड/वार्डों की मतगणना हो रही हो। इसके अतिरिक्त तत्समय किसी अन्य वार्ड/वार्डों के उम्मीदवार/गणन अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता उस हाल/पण्डाल में नहीं रहेगा। शेष वार्डों के उम्मीदवारों/गणन अभिकर्ताओं/निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए अलग से एक हाल/पण्डाल की व्यवस्था की जाएगी जहाँ वह अपने वार्डों के मतों की गणना प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा कर सकेंगे।

(6) गणन अभिकर्ताओं को मतगणना कक्ष में प्रविष्ट कराने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप पर नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रतियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए।

(7) रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रपत्र देने वाले व्यक्ति वही हैं जिनकी गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति के मूल पत्र के उन ब्यौरों की जाँच से सम्भव है जिन्हें उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिया गया है।

(8) रिटर्निंग अधिकारी को वह स्थान व समय नियत करना चाहिए जहाँ इस प्रयोजन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किए गए स्थान व समय पर मतों की गणना की जानी है तथा जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही सूचना प्रकाशित की जा चुकी है। स्थान नियत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर मतगणना के लिए पर्याप्त स्थान हो तथा सुरक्षा की दृष्टि से स्थान उपयुक्त हो।

8— गणन अभिकर्ता

(1) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय अपने गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी एक व्यक्ति को परिनिश्चित कर सकता है। ऐसी प्रत्येक नियुक्ति मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व प्ररूप—34 पर उम्मीदवार द्वारा स्वयं अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा लिखित रूप से की जा सकती है। गणन अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्ररूप में घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर करना होता है। रिटर्निंग अधिकारी को यह देखना चाहिए कि नियुक्ति की सहमति के प्रतीक स्वरूप उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भेजे गए पत्र पर उसके हस्ताक्षर घोषणा पत्र पर किए गए हस्ताक्षर से मेल खाते हैं। गणन अभिकर्ताओं को मतगणना कक्ष में प्रविष्ट कराने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र जमा करा लेंगे। नियुक्ति पत्र पर उनकी फोटो भी चस्पा होगी तथा एक फोटो अलग से ली जाएगी जिसे गणन अभिकर्ता के पास पर चस्पा कराया जाएगा। मतगणना मेज पर उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके गणन अभिकर्ता में से एक ही उपस्थित रह सकता है। उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य को गणन अभिकर्ता का प्रतिस्थानी नहीं माना जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मेज के पास उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति रह सकता है। किसी भी गणन अभिकर्ता को गणना हेतु नियत स्थान पर तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी नियुक्ति का पत्र रिटर्निंग अधिकारी को न दे दिया गया हो। गणन अभिकर्ता के रूप में माननीय सांसदों, माननीय विधायकों, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षों, माननीय ब्लाक प्रमुखों, विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ पद धारकों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। आपराधिक इतिहास के व्यक्तियों को भी गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) मतगणना समाप्त होने के पूर्व गणन अभिकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने अथवा अन्य किसी स्थिति में उसकी नियुक्ति को उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा रिपोर्ट देकर रद्द कराया जा सकता है तथा दूसरे गणन अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है। यह कार्य मतगणना के दौरान भी किया जा सकता है।

(3) गणन अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र निर्धारित प्ररूप–34 पर दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिसको हस्ताक्षरित करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी एक प्रति अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने के पश्चात् उसे उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को वापस कर देगा। गणन अभिकर्ता इस नियुक्ति पत्र को मतगणना की समाप्ति तक अपने पास अनिवार्य रूप से रखेगा।

9– मतगणना का कार्यक्रम तथा उसको स्थगित किया जाना

(1) प्रत्येक नगरीय निकाय की मतगणना यथासम्भव एक दिन के अन्दर ही पूरी हो जानी चाहिए।

(2) मतों की गणना लगातार होगी। ऐसी स्थिति में जब मतगणना रोकनी पड़े तो रिटर्निंग अधिकारी को इन निर्देशों अथवा आयोग से प्राप्त अन्य निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए।

10– मतों की गणना–

(1) रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के लिए नियत दिनाँक, समय और स्थान पर निम्नलिखित कार्यवाही करेगाः–

रिटर्निंग अधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि मतदान के समय प्रयुक्त और उस स्थान पर परिगणित की जाने वाली यथास्थिति समस्त मतपेटिकाएं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्राप्त कर ली गई हैं और उनका विवरण दिया जा चुका है।

रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के समय उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा गणन अभिकर्ताओं को यथास्थिति मतपेटिकाओं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मुहरों का परीक्षण कर समाधान करने का अवसर देगा कि वे उचित क्रम में हैं।

रिटर्निंग अधिकारी इस बात का भी स्वयं समाधान करेगा कि किसी भी मतपेटिका या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि उसके द्वारा यथास्थिति, किसी मतपेटिका/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ किया गया या उसे नष्ट किया गया या खोया हुआ पाया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी मतगणना को रोक देगा तथा इसकी जानकारी तत्काल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति ऐसी समस्त मतपेटिकाएं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जिनमें अन्तर्विष्ट/अभिलिखित मतों की ऐसे स्थानों पर गणना की जानी हो, प्राप्त कर ली गई हैं और वे उचित क्रम में हैं तो वह मतपेटिकाओं

/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अन्तर्विष्ट/अभिलिखित मतों की गणना प्रारम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं को खोला जाएगा और उसी समय यथास्थिति उन मतपेटिकाओं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अन्तर्विष्ट/अभिलिखित मतों की गणना की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

मतदान स्थल की मतपेटिकाओं में पाए गए मतपत्रों या उस स्थल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अभिलिखित मतों के लेखा को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में अभिलिखित किया जाएगा।

रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों, को समस्त मतपत्रों, जो रिटर्निंग अधिकारी की राय में अस्वीकृत किए जाने योग्य हों, का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा किन्तु उन्हें इन पत्रों या किसी अन्य पत्र को छूने नहीं देगा। रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतपत्र, जो अस्वीकृत किया गया हो, पर हिन्दी में देवनागरी लिपि में अस्वीकृति के सम्बन्ध में पृष्ठांकन करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र की अस्वीकृति की सत्यता के सम्बन्ध में प्रश्न करता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतपत्र पर संक्षेप में अपनी अस्वीकृति के आधारों को भी अभिलिखित करेगा।

किसी मतपत्र की या ऐसे किसी मतपत्र पर दिए गए मत की विधि मान्यता हेतु रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली किसी निर्वाचन याचिका के विचारण पर दिए गए किसी प्रतिकूल विनिश्चय के अध्यधीन अन्तिम होगा।

मतदान स्थल की मतपेटिकाओं में अन्तर्विष्ट समस्त मतपत्रों या उस स्थल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अभिलिखित मतों की गणना को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी ऐसे समस्त मतपत्रों को ऐसे पृथक् पृथक् पैकेट में रखवाएगा जिस पर ऐसे विवरण इंगित किए जाएंगे जिससे कि मतदान स्थल, नगर पालिका का नाम और निर्वाचन क्षेत्र, जिनसे मतपत्र या मत सम्बन्धित हो, की पहचान हो सके।

मतगणना प्रारम्भ किए जाने से पूर्व इस तथ्य की निश्चित जानकारी कर ली जाए कि किसी वार्ड के किसी मतदान केन्द्र/स्थल पर पुनर्मतदान का निर्णय तो नहीं लिया गया है। यदि किसी मतदान केन्द्र/स्थल पर पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है तो उस वार्ड की मतगणना पुनर्मतदान के लिए निर्धारित दिनाँक व समय के पश्चात् प्रारम्भ की जाएगी।

मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को समस्त उपस्थित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम 61 के उपबन्धों को पढ़कर सुना देना चाहिए।

जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, गणन पर्यवेक्षक मतपेटिका की पहचान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी जाँच करेगा। उपर्युक्त रीति से मुहरों की सावधानी पूर्वक जाँच कर लिए जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका या मतपेटिकाओं को खोलकर उनमें से सभी मतपत्र मतगणना मेज पर निकाले जाएंगे। मतपेटिका प्रयोग किए जाने की स्थिति में गणन अभिकर्ता को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल लिए गए हैं और वह खाली हो गई है। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर न हो।

(xii) मतगणना मेजों पर यथास्थिति मतपेटिकाओं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वितरण के साथ ही साथ मतगणना प्रारम्भ हो जाएगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयुक्त हुई हों तो सभी मतपेटिकाएं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतगणना की एक ही मेज पर एक साथ रखी जाएंगी। मतगणना की मेज पर सम्बन्धित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा जो मतदान स्थल से प्राप्त हुआ हो।

(2) **प्रत्येक मतदान स्थल के सम्बन्ध में मतगणना का कार्य निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगाः—**

(i) मतगणना प्रारम्भ होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी पदों हेतु प्राप्त डाक मतपत्रों की मतगणना सर्वप्रथम अपने लिए निर्धारित मतगणना मेज पर की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी आवरकों और लिफाफों को जिनमें मतपत्र हों, खोलेगा या खुलवाएगा जो उसे प्राप्त हुए हों और उनमें पाये गए मतपत्रों को एकत्र करेगा तथा प्ररूप—ग में प्राप्त घोषणा की परीक्षा करेगा और आवरक या लिफाफे पर लिखी हुई मतपत्र की संख्या का लिफाफे के भीतर पाये गए मतपत्र पर दी गई संख्या से मिलान करेगा और यदि प्ररूप—ग में प्राप्त घोषणा सही नहीं है या वह प्ररूप—ख में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप नहीं है या मतपत्र पर दी गई संख्या आवरक या लिफाफा पर लिखी गई संख्या से भिन्न है, तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतपत्र पर उसे अस्वीकार करने का कारण अभिलिखित करने के पश्चात तुरन्त अस्वीकृत कर देगा। सभी मतपत्र जो इस तरह अस्वीकृत नहीं हुए हैं, एकत्र किए जाएंगे और उनकी गणना मतपेटियों में पाये गए मतपत्रों की गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। निर्वाचन विवरणी में पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना का प्रत्याशीवार मतों का विवरण पहले दर्ज किया जाएगा। तत्पश्चात् मतदान स्थल/वार्डवार निर्धारित मतगणना मेजों पर मतपत्रों की मतगणना का कार्य विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

(ii) मतपेटिकाओं को मतगणना मेज पर उपलब्ध कराने के पश्चात् गणन पर्यवेक्षक उसकी जाँच करेगा। इसके पश्चात् मतपेटिका/मतपेटिकाओं को उम्मीदवारों/गणन अभिकर्ताओं को दिखाया जाएगा तथा उसे

खोलकर उसमें से सभी मतपत्रों को निकालकर खाली मतपेटिका गणन अभिकर्ताओं को भी दिखायी जाएगी। यह सावधानी रखी जाए कि कोई मतपत्र मतपेटिका के अन्दर या इधर उधर न हो।

(iii) यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त की गयी हों तो सभी मतपेटिकाएं मतगणना की एक ही मेज पर एक साथ रखी जाएं तथा उनके मतपत्रों की गणना एक साथ की जाएगी।

(iv) सदस्य एवम् अध्यक्ष पद के मतों की गणना मतदान स्थलवार की जाएगी अर्थात् जिस मतदान स्थल की मतगणना प्रारम्भ की जाएगी उस मतदान स्थल के सदस्य एवम् अध्यक्ष की गणना पूर्ण करने के उपरान्त ही दूसरे मतदान स्थल की मतपेटिका में पाये गए मतों की गणना की जाएगी। प्रत्येक मतगणना मेज पर वार्डवार एवं मतदान स्थलवार पहले सदस्य पद के मतों की गणना एवं उसके बाद अध्यक्ष पद के मतों की गणना की जाएगी।

(v) प्रत्येक मतपेटी में सदस्य/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अथवा सदस्य/अध्यक्ष, नगर पंचायत के लिए डाले गए मतपत्र अलग अलग रंग के होंगे। अतः सर्वप्रथम रंगों के आधार पर मतपत्रों को अलग अलग छाँट लिया जाएगा। इस प्रकार रंगों के आधार पर छाँटे गए मतपत्रों को उलटा रखते हुए 50–50 मतपत्रों की गड्डियाँ बना ली जाएंगी और 50–50 की गड्डी बना लेने के पश्चात् 50 मतपत्रों से कम मतपत्र बचते हैं तो उनकी एक अलग गड्डी बनाई जाएगी।

(vi) मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिए गए मतों के अनुसार अलग–अलग छांट लेना चाहिए। संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बण्डल में रख लेना चाहिए। वैध और अवैध मतों के उदाहरण इस पुस्तिका के अन्त में क्रमशः परिशिष्ट–44 व परिशिष्ट–45 में मार्गदर्शन हेतु दिए गए हैं किन्तु उनके अतिरिक्त भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं।

(vii) अलग अलग पदों के लिए उपर्युक्तानुसार बनाई गई गड्डियों में से पहले सदस्य पद के मतों की गणना प्रत्याशीवार की जाएगी तथा प्रत्याशीवार मतों का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर गणन पर्यवेक्षक द्वारा तैयार करके सम्बन्धित वार्ड के सदस्य पद हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी (सदस्य पद) मतदान स्थलवार परिणाम आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर तैयार करेंगे। उसके पश्चात् अध्यक्ष पद के मतों की गणना प्रत्याशीवार की जाएगी तथा अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को प्राप्त होने वाले मतों का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर तैयार कर गणन पर्यवेक्षक द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने सभी मतगणना मेजों से प्राप्त प्रत्याशीवार विवरण अध्यक्ष पद के रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वार्डवार, मतदान स्थलवार आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर प्रत्याशीवार विवरण तैयार किया जाएगा।

(viii) किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के लिखित प्रार्थना पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम

घोषित किए जाने के पूर्व मतों की फिर से सम्पूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी किन्तु रिटर्निंग अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को जो उसे गलत तथ्यों पर आधारित या व्यर्थ जान पड़े, अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करते हुए उसे उसी समय अस्वीकार कर सकता है। किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक बार की गई पुनर्गणना के पश्चात् दुबारा पुनर्गणना की मांग करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा।

(ix) अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु मतगणना मेजों पर मतगणना कार्मिकों द्वारा मतदान स्थलवार जो मतों की गणना की जाएगी, उसमें आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर चक्रवार, प्रत्याशीवार मतों की संख्या का अंकन होगा तथा प्रत्येक चक्र का विवरण अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना पूर्ण होने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर अध्यक्ष एवं सदस्य पद का गणना परिणाम तैयार किया जाएगा तथा परिणाम की घोषणा की जाएगी।

(x) संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बण्डल में रख लेना चाहिए। मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने के आधार इस निर्देश पुस्तिका के प्रस्तर–11 तथा मतपत्रों को रदद् नहीं किए जाने के आधार प्रस्तर–12 में दिए गए हैं। वैध और अवैध मतों के उदाहरण इस निर्देश पुस्तिका के परिशिष्ट–44 तथा परिशिष्ट–45 में दर्शाया गया है। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो अस्वीकृत किया जाए, हिन्दी में देवनागरी लिपि में **"अस्वीकृत"** पृष्ठांकित करेगा और ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर अस्वीकृति का कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा।

(xi) प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बण्डलों को एक साथ बांध लिया जाएगा और उस पर एक पर्ची लगा दी जाएगी जिसमें उन बण्डलों के मतपत्रों की कुल संख्या तथा उम्मीदवारों के नाम लिखे जाएंगे। संदिग्ध मतपत्रों का एक अलग बण्डल बनाया जाएगा। उस पर पर्ची लगाई जाएगी जिस पर शब्द "संदिग्ध मतपत्र" और "संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या" लिखी जाएगी।

(xii) मतगणना मेज से गणना पर्ची (प्ररूप–57) एवं मतपत्रों के बण्डल प्राप्त होने पर गणन पर्यवेक्षक अस्वीकृत किए जाने वाले तथा संदिग्ध मतपत्रों के बण्डल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध तथा अवैध मतपत्रों के बण्डलों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दे देंगे। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी उसके अवैध और संदिग्ध मतपत्रों की जाँच करेगा, उन पर अंतिम आदेश पारित करेगा और जहाँ कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची में संशोधन करेगा तथा वहीं अपने हस्ताक्षर करेगा।

(xiii) मतपत्रों की वैधता से सम्बन्धित प्रत्येक विवादग्रस्त मामले अथवा जिसके बारे में गणन पर्यवेक्षक को स्वयं सन्देह है, को रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उसके आदेश के लिए अभिदिष्ट कर दिया जाएगा। मत की वैधता के सम्बन्ध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के, जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई

हो, के परीक्षण पर दिए गए किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(xiv) उपर्युक्तानुसार अवैध मतों की जाँच हो जाने पर तथा जाँच पर्चियों में आवश्यकतानुसार प्रविष्टियों की शुद्धि किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सहायक लिपिक की सहायता से गणना की शीट लिखी जाएगी तथा उसकी सत्य परीक्षा की जाएगी।

(xv) निविदत्त मतपत्रों की गणना नहीं की जाएगी।

(xvi) मतपेटिकाओं में पाये गए मतपत्रों के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों के पूरा हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों के लिए नियत स्तम्भ के अन्त में मतपत्रों की संख्या अंकित करेगा। यह करने के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार के सम्बन्ध में अवैध और अस्वीकृत मतपत्रों के आंकड़ों का योग किया जाएगा।

(xvii) प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरन्त बाद सदस्य/पार्षद तथा अध्यक्ष/महापौर की मतगणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित कराई जाए। इसके अतिरिक्त 2–2 घन्टे के अन्तराल में भी मतगणना प्रगति की घोषणा प्रगामी योग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से कराई जाए चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं। मतगणना प्रगति की जानकारी के लिए नियुक्त कर्मी रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा उनकी ड्यूटी 8–8 घन्टे की शिफ्ट में लगाई जाएगी।

(xviii) मतगणना सम्बन्धी आयोग की निर्देश पुस्तिका एवं आयोग द्वारा मतगणना के संबंध में निर्गत निर्देशों को अपने स्तर से रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उपलब्ध कराएं तथा मतगणना निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतगणना कार्मिकों को भलीभांति प्रशिक्षित कर दिया जाए जिससे गणना कार्य में कोई त्रुटि न हो।

11– मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने के आधार

मतगणना करते समय यह ध्यान रखा जाए कि कोई मतपत्र अवैध अथवा रद्द किए जाने योग्य तो नहीं है। निम्नलिखित में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर मतपत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है:–

(1) यदि उस पर कोई ऐसा चिह्न लगा हो जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो; या

(2) यदि वह नकली मतपत्र हो, या

(3) यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सकती हो, या

(4) यदि इस पर किसी विशिष्ट मतदान स्थल पर उपयोग हेतु प्राधिकृत मतपत्रों की, यथास्थिति, क्रम संख्या और रूपांकन से भिन्न क्रम संख्या या रूपांकन हो, या

(5) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किए जाते हैं, या

(6) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हो, या

(7) यदि उस पर चिह्न लगाने के लिए उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से चिह्न लगाया गया हो, या

(8) यदि मत को इंगित करने वाला चिह्न इस तरह से लगाया गया है कि यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है, या

(9) यदि मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी है, या

(10) यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

12— किसी भी मतपत्र को निम्नलिखित आधार पर रद्द नहीं किया जाएगाः—

(1) किसी मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि मत को इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या उसे किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख एक से अधिक बार अंकित किया गया है, यदि इसका यह आशय कि उक्त मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा, उस रूप में प्रकट हो जिस रूप में मतपत्र में चिह्नित हो।

(2) एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त, उसके पृष्ठभाग में या गहरे रंग वाले छायाकृत स्थान में भी चिह्न लगा हो।

(3) चिह्न किसी उम्मीदवार के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा शेष भाग खाली स्थान में लगा है।

(4) मूल चिह्न किसी एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य उम्मीदवार के खाने में बन गई है।

(5) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उस पर उसके अंगूठे के निशान का धब्बा पड़ गया हो।

13— **पुनर्गणना**

किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के पूर्व मतों की फिर से सम्पूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी, किन्तु रिटर्निंग अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को जो उसे गलत तथ्यों पर आधारित या व्यर्थ जान पड़े, अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करते हुए उसे उसी समय अस्वीकार कर सकता है। किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक बार की गई पुनर्गणना के पश्चात् उसके दुबारा पुनर्गणना की मांग करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा।

14— मतगणना के समय मतपत्रों को नष्ट किया जाना और उसकी क्षति आदि

(1) मतगणना के पूर्व किसी भी समय मतदान केन्द्र या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों को रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से छीन लिया जाता है या उन्हें संयोग वश या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है या खो दिया जाता है या उन्हें इस सीमा तक क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है या उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थल पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त मामले की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा।

(2) उस आधार पर, आयोग समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,–

(i) यह निदेश देगा कि मतगणना रोक दी जाए, उस मतदान केन्द्र या स्थान के मतदान को शून्य घोषित कर दिया जाए और उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए सिरे से मतदान कराने के लिए दिनाँक और समयावधि नियत की जाए और इस प्रकार नियत किए गए दिनाँक और समयावधि, जैसा कि वह उचित समझे, को अधिसूचित करेगा, या

(ii) यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर किसी नए सिरे से मतदान के परिणाम से किसी भी रूप में निर्वाचन का परिणाम प्रभावित नहीं होगा, ऐसे निर्देश रिटर्निंग अधिकारी को जारी करेगा जैसा कि वह मतगणना पुनरारम्भ और उसके समापन के लिए और निर्वाचन के अग्रतर संचालन और उसके समापन के लिए उचित समझे, जिनके संबंध में मतगणना की जा चुकी है।

15— मतों की समानता

यदि मतगणना पूरी होने के पश्चात्, किन्हीं अभ्यर्थियों के मध्य मत का समान होना पाया जाता है और एक मत के बढ़ जाने पर उनमें से कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उन अभ्यर्थियों के मध्य विनिश्चय भाग्यपत्रक द्वारा करेगा और उस रूप में कार्यवाही करेगा मानो ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पक्ष में भाग्यपत्रक आता है, को एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो चुका हो।

16— निर्वाचन परिणाम की घोषणाः

मतगणना समाप्त होने के उपरान्त परिणाम की घोषणा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त की जाएगी तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर मतगणना परिणाम तैयार कर विजयी उम्मीदवार को प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा। परिणाम की घोषणा करने के पूर्व निर्धारित पंजिका (प्ररूप–44) पर निर्वाचन परिणाम का विवरण दर्ज कर उस पर निर्वाचित उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराए जाएंगे तथा रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी पंजिका में हस्ताक्षर किए जाएंगे। परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्ररूप (प्ररूप संख्या 45, 47, 49, 51, 53, 55) में प्रदान किया जाएगा और प्ररूप संख्या 46, 48, 50, 52, 54 या 56 में उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करके सम्बन्धित अभिलेख के साथ रखकर सील कर दिया जाएगा।

17— निर्वाचन परिणाम की सूचना

किसी निर्वाचन का परिणाम घोषित कर दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य रिटर्निंग अधिकारी परिणाम की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा।

18— मतपत्रों तथा मतगणना अभिलेखों को सील करना

(1) मतों की गणना के बाद रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित अभिलेखों के अलग अलग पैकेट बनाएगा।

(i) मतगणना किए गए वैध मतपत्रों का एक बन्डल।

(ii) निरस्त किए गए मतपत्रों का एक बन्डल।

(iii) प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त किए गए मतों की गणना के प्रपत्र।

(2) मतगणना के बाद सभी अभिलेखों के बन्डल तथा मतपत्रों के बन्डलों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील करा दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर उपलब्ध प्रत्याशी अथवा गणन अभिकर्ता को सील किए गए मतपत्रों पर अपनी अपनी मुहर अथवा मतगणना सील लगाने दिया जाएगा, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं।

19— मतगणना विवरणी, मतपत्रों तथा अन्य पत्रजातों की अभिरक्षा

रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन परिणाम को घोषित करने के पश्चात् विवरणी को जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रसारित कर देगा। रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य समस्त पत्रजातों को भी जिला निर्वाचन अधिकारी को अभिरक्षार्थ अग्रसारित करेगा। मतपत्रों की गणना से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को सील/मुहर बन्द किया जाएगा, परन्तु निर्वाचन परिणाम पंजिका (प्ररूप–44) सील नहीं होगी। सम्बन्धित नगरीय निकायों के रिटर्निंग अधिकारी का यह दायित्व होगा कि मतगणना की समाप्ति के बाद 15 दिन के अन्दर मतगणना सम्बन्धी अभिलेखों को अपने जनपद के जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में जमा करके सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से रसीद प्राप्त कर लें। यह अभिलेख जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में सुरक्षित रखे जाएंगे। निर्वाचन अधिकरण (इलेक्शन ट्रिब्युनल) द्वारा माँग किए जाने पर उन्हें सम्बन्धित न्यायालय में भेजा जाएगा। एक नियत अवधि के बाद इन अभिलेखों को सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नष्ट कर दिया जाएगा। सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ऐसी कालावधि के लिए अखंड रूप से प्रतिधारित रखी जाएंगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करें और उनका किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा।

20— नगर पालिकाओं के सामान्य निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन

यथास्थिति किसी नगर पालिका के किसी सदस्य, पार्षद, अध्यक्ष या महापौर के रूप में निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति के नाम को आयोग द्वारा गजट में विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा।

प्ररूप–30
मतपत्र लेखा
भाग––1

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत...के वार्ड संख्या....................
भाग संख्या.....................से *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य का निर्वाचन।
मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या व नाम..क्रम संख्या/
संख्या..............................से ....तक कुल संख्या..........................

1 प्राप्त मतपत्र.......................
2 उपयोग में नहीं लाये गए मतपत्र.....................से.......................तक कुल संख्या.....................
(अर्थात् जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं।)
(क) जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है।
कुल संख्या.....................................
(ख) जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
कुल संख्या.................................
जोड़ (क+ख)..

....
....

3 मतदान स्थल पर उपयोग में लाये गए मतपत्र...
(1-2=3)
4 **मतदान स्थल में उपयोग में लाये गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र
(क) मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र...............
(ख) अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र...
(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाये गए मतपत्र................................
जोड़ (क+ख+ग)..
5 मतपेटी में पाये जाने वाले मतपत्र (3–4=5)..
दिनाँक ....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

**क्रम संख्या देने की आवश्यकता नहीं है।
*जो लागू न हो उसे काट दें।

मतपत्र लेखा
भाग–2

1–मतपेटिकाओं में पाये गए कुल मतपत्रों की संख्या.................................
2–यदि कोई अन्तर हो तो उल्लेख करें:–

स्थान.......................... गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
दिनाँक ....

स्थान.......................... रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनाँक ....

नोट यह मतपत्र लेखा नगरीय निकाय के अध्यक्ष/महापौर तथा पार्षद/सदस्य के लिए अलग–अलग बनाया जाएगा।

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–2

प्ररूप–31

पत्र मुद्रा लेखा

जनपद...की *नगर निगम / नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत.................................... ....से *महापौर / अध्यक्ष या * के वार्ड संख्या.................................से पार्षद / सदस्य का निर्वाचन मतदान केन्द्र / स्थल की संख्या व नाम...

1. उपलब्ध कराई गई पत्र मुद्रा क्रमाँक ....से.........................तक................
2. कुल प्राप्त कराई गई पत्र मुद्राओं की संख्या...
3. प्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या...
4. वापस की गई (अप्रयुक्त) पत्र मुद्राओं की संख्या (क्रमांक 2 –क्रमांक 3).. ....
5. खराब हुई पत्र मुद्राओं का क्रमांक, यदि कोई हो...

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र / स्थल की संख्या

स्थान.........................
दिनाँक ....

प्ररूप–34
गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

मतगणना अभिकर्ता का फोटो

नगरीय निकाय का नाम...जनपद...
के *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य के वार्ड संख्या.............................. के लिए निर्वाचन।
सेवा में,
रिटर्निंग अधिकारी,
मैं..जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में उम्मीदवार हूँ/जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में उम्मीदवार है, का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, मतदान स्थल......................पर मतों की गणना में उपस्थित रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिसका फोटो चिपका है, को एतद्द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति करता/करती हूँ।
गणन अभिकर्ता का नाम..गणन अभिकर्ता का पता...

स्थान ....
दिनाँक...................................

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप मे कार्य करने के लिए सहमत हूँ।
स्थान ....
दिनाँक...................................

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की जाने वाली गणन अभिकर्ता की घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपरिवर्णित निर्वाचन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम 61 *जो मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़कर सुना दी गयी है, द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा।

स्थान ....
दिनाँक................................... गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गयी।

स्थान...............................
दिनाँक... रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाए ।

नगरीय निकाय निर्वाचन

परिशिष्ट–4

प्ररूप–36

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..जनपद...................................के वार्ड (नाम)...संख्या............................के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।
टेबुल सं0 .... चक्र सं0 .... मतदान स्थल का नाम व क्रमांक ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
योग				

(क) मतपेटिका में पाये गए कुल मतपत्रों की संख्याः ....
(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए मतपत्रों की संख्याः ....
(ग) विधिमान्य मतों की संख्याः ....

हस्ताक्षर

दिनाँक .... गणन पर्यवेक्षक का पूरा नाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–5

प्ररूप–36क

*नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत...जनपद...के वार्ड (नाम)..संख्या............................के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।
चक्र सं0 ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण			अभ्युक्ति
			विगत चक्र तक प्राप्त मतों की कुल सं0	वर्तमान चक्र में प्राप्त मतों की कुल सं0	प्रगामी मतों की कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
योग						

(क) वर्तमान चक्र तक कुल मतों की कुल संख्याः ....

(ख) वर्तमान चक्र तक प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए मतों की कुल संख्याः ....

(ग) वर्तमान चक्र तक विधिमान्य मतों की कुल संख्याः ....

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

(मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–6

प्ररूप–36ख

*नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत..जनपद...के वार्ड (नाम).....................................संख्या...के सदस्य के निर्वाचन हेतु डाक मतपत्रों की मतगणना का परिणाम।
वार्ड सं0 ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
प्रतिक्षेपित मतों की संख्या				
योग				

(क) प्राप्त डाक मतपत्रों की कुल संख्याः ....
(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए डाक मतपत्रों की संख्याः ....
(ग) विधिमान्य डाक मतों की संख्याः ....

हस्ताक्षर
दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....
(मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–7

प्ररूप–36 ग

*नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत..जनपद..के वार्ड (नाम)...संख्या..के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतदान स्थलवार मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में मतदान स्थलवार विधिमान्य मतों का विवरण											प्राप्त डाक मत पत्रों की सं0	कुल योग
			मतदान स्थल का विवरण												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
योग															

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या...

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.................................

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या...

(घ) डाले गए कुल मतों की संख्या(क+ख)...

(ङ) डाक मतपत्रों की कुल संख्या ....

मतगणना का स्थान ....

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.......................................

(मुहर)

नोटः– प्ररूप के कालम 4 से 14 के ऊपर मतगणना के समय सम्बन्धित वार्ड के मतदान स्थलों का वास्तविक क्रमांक अंकित किया जाएगा तथा तद्नुसार कालम 4 से 14 में उम्मीदवारों को प्राप्त मतों को अंकित किया जाएगा। वार्ड में जितने मतदान स्थल होंगे, उतने कालम आवश्यकतानुसार सृजित किए जाएंगे। यह गणना शीट प्रोफार्मा के रूप में प्रेषित की जा रही है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–8

प्ररूप–37

*नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत...जनपद...के वार्ड (नाम)..संख्या.............................के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों की संख्या
1	2	3	4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या..
(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज / रद्द) मतों की संख्या................
(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या.(क+ख)..
(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या......................................
(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम...
सम्बद्ध राजनैतिक दल का नाम ....
मतगणना का स्थान ....

हस्ताक्षर
दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.......................................
(मुहर)

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।
*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–38

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..जनपद..के वार्ड (नाम).......................................संख्या................................के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम। टेबुल सं0 .... चक्र सं0 .... मतदान स्थल का नाम व क्रमांक ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
योग				

(क) मतपेटिका में पाये गए कुल मतपत्रों की संख्याः ....
(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए मतपत्रों की संख्याः ....
(ग) विधिमान्य मतों की संख्याः ....

हस्ताक्षर
दिनाँक .... गणन पर्यवेक्षक का पूरा नाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–38क

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.................................. जनपद.. के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।
चक्र सं0 ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण										कुल योग
			टेबुल संख्या										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			मतदान स्थल संख्या										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कुल योग													

(क) वर्तमान चक्र में कुल मतों की कुल संख्याः ....
(ख) वर्तमान चक्र में प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए मतों की कुल संख्याः ....
(ग) वर्तमान चक्र में विधिमान्य मतों की कुल संख्याः ....

हस्ताक्षर
दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....
(मुहर)

नोटः– प्ररूप के कालम 4 से 13 के ऊपर मतगणना के समय वास्तविक टेबिल संख्या एवं मतदान स्थलों का क्रमांक अंकित किया जाएगा तथा तद्नुसार कालम 4 से 13 में उम्मीदवारों को प्राप्त मतों को अंकित किया जाएगा। गणना चक्र में जितनी मेजों पर गणना की जाएगी, उतने कालम आवश्यकतानुसार सृजित किए जाएंगे।
*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–11

प्ररूप–38 ख

*नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत.................................जनपद... के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

चक्र सं0 ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण			अभ्युक्ति
			विगत चक्र तक प्राप्त मतों की कुल सं0	वर्तमान चक्र में प्राप्त मतों की कुल सं0	प्रगामी मतों की कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
योग						

(क) वर्तमान चक्र तक कुल मतों की कुल संख्याः ....

(ख) वर्तमान चक्र तक प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए मतों की कुल संख्याः ....

(ग) वर्तमान चक्र तक विधिमान्य मतों की कुल संख्याः ....

मतगणना का स्थान ....

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

(मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–12

प्ररूप–38 ग

*नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत.................................जनपद... के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु डाक मत पत्रों की मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
प्रतिक्षेपित मतों की संख्या				
योग				

(क) प्राप्त डाक मतपत्रों की कुल संख्याः ....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए डाक मतपत्रों की संख्याः ....

(ग) विधिमान्य डाक मतों की संख्याः ....

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

(मुहर)

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　परिशिष्ट–13

प्ररूप–38 घ

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.. जनपद.. के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु चक्रवार मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण										प्राप्त डाक मत पत्रों की सं0	कुल योग
			चक्र संख्या											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
योग														

(क)　कुल मतों की संख्याः ....

(ख)　प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए मतों की कुल संख्याः ....

(ग)　विधिमान्य मतों की कुल संख्याः ....

(घ)　निविदत्त मतों की संख्याः ....

(ङ)　डाक मतपत्रों की कुल संख्याः ....

हस्ताक्षर

दिनाँक ....　　　　　　　　रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

(मुहर)

नोटः– प्ररूप के कालम 4 से 13 के ऊपर मतगणना के समय वास्तविक चक्र संख्या अंकित की जाऐगी तथा तद्नुसार कालम 4 से 13 में प्रत्याशियों को प्राप्त मतों को अंकित किया जाऐगा। गणना हेतु जितने चक्रों में गणना की जाएगी, उतने कॉलम आवश्यकतानुसार सृजित किए जाएंगे।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–14

प्ररूप–38ङ

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत ....जनपद..के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतदान स्थलवार मतगणना का परिणाम।

मतदान स्थल की सं0	प्रत्याशियों के नाम											प्राप्त मतों की सं0	प्रतिक्षेपित मतों की सं0	अभ्युक्ति
	....	....		....	....	....	....	....	....	....	....			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
प्राप्त डाक मतपत्रों की सं0														
कुल योग														

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या..

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या...............

(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या (क+ ख)..

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या......................................

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम..

(मुहर)

नोटः– रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदान स्थलों के परिणामों को संकलित किया जाएगा।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–15

प्ररूप–39

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..................................जनपद..के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों की संख्या
1	2	3	4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या..
(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या................
(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या (क+ ख)...
(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....................................
(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम...
सम्बद्ध राजनैतिक दल का नाम ....
मतगणना का स्थान ....
दिनाँक ....

हस्ताक्षर
दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.......................................
(मुहर)

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।
*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–16

प्ररूप–40

नगर निगम ....जनपद...के वार्ड (नाम)...
संख्या...के पार्षद के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।
टेबुल सं0 .... चक्र सं0 .... मतदान स्थल का नाम व क्रमाँक ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
योग				

हस्ताक्षर

दिनाँक .... गणन पर्यवेक्षक का पूरा नाम ....

नगरीय निकाय निर्वाचन   परिशिष्ट–17

प्ररूप–40क

नगर निगम ....जनपद..के वार्ड (नाम)...संख्या. ....के पार्षद के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

चक्र सं0 ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण			अभ्युक्ति
			विगत चक्र तक प्राप्त मतों की कुल सं0	वर्तमान चक्र में प्राप्त मतों की कुल सं0	प्रगामी मतों की कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
योग						

हस्ताक्षर.

दिनाँक ....   रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

(मुहर)

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–18

प्ररूप–40ख

नगर निगम ....जनपद...के वार्ड (नाम).. संख्या...के पार्षद के निर्वाचन हेतु डाक मतपत्रों की मतगणना का परिणाम।
वार्ड सं0 ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
प्रतिक्षेपित मतों की संख्या				
योग				

(क) प्राप्त डाक मतपत्रों की कुल संख्याः ....
(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए डाक मतपत्रों की संख्याः ....
(ग) विधिमान्य डाक मतों की संख्याः ....

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

(मुहर)

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–19

प्ररूप–40 ग

नगर निगम ....जनपद...के वार्ड (नाम).. संख्या..के पार्षद के निर्वाचन हेतु मतदान स्थलवार मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में गणना मतदान स्थलवार विधिमान्य मतों का विवरण											प्राप्त डाक मत पत्रों की सं0	कुल योग
			मतदान स्थल का विवरण												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कुल योग															

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या...
(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.................................
(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या...
(घ) डाले गए कुल मतों की संख्या(क+ख)..
(ङ) डाक मतपत्रों की कुल संख्या ....
मतगणना का स्थान ....

हस्ताक्षर

दिनाँक ....

रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम..
(मुहर)

नोटः– प्ररूप के कालम 4 से 14 के ऊपर मतगणना के समय सम्बन्धित वार्ड के मतदान स्थलों का वास्तविक क्रमांक अंकित किया जाएगा तथा तद्नुसार कालम 4 से 14 में उम्मीदवारों को प्राप्त मतों को अंकित किया जाएगा। वार्ड में जितने मतदान स्थल होंगे, उतने कालम आवश्यकतानुसार सृजित किए जाएंगे।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–20

प्ररूप–41

नगर निगम ....जनपद...के वार्ड (नाम)..................................... संख्या.....................................के पार्षद के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों की संख्या
1	2	3	4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या..
(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या...............
(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या(क +ख)...
(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....................................
(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम...
सम्बद्ध राजनैतिक दल का नाम ....
मतगणना का स्थान ....

हस्ताक्षर

दिनाँक ....

रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम......................................
(मुहर)

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।

प्ररूप–42

नगर निगम ....जनपद...............................के महापौर के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम। टेबुल सं0 .... चक्र सं0 .... मतदान स्थल का नाम व क्रमांक .... वार्ड सं0 ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
योग				

हस्ताक्षर

दिनाँक ....

गणन पर्यवेक्षक का पूरा नाम ....

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–22

प्ररूप–42क

नगर निगम ....जनपद...के महापौर के निर्वाचन हेतु मतगणना केन्द्र पर मतगणना का परिणाम।

चक्र सं0 .... मतगणना केन्द्र का नाम ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण										कुल योग
			टेबुल संख्या										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			मतदान स्थल संख्या										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
योग													

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी

का पूरा नाम ....

(मुहर)

नोटः–1. प्ररूप के कालम 4 से 13 में टेबिल संख्या एवं मतदान स्थलों का क्रमांक अंकित किया जाएगा। गणना चक्र में जितनी मेजों पर गणना की जाएगी, उतने कालम आवश्यकतानुसार सृजित किए जाएंगे। यह गणना शीट प्रोफार्मा के रूप में प्रेषित की जा रही है।

2. यदि एक से अधिक मतगणना केन्द्रों पर गणना की जा रही हो तो सभी मतगणना केन्द्रों पर सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने केन्द्र के चक्रवार परिणाम तैयार करके रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित किया जाऐगा जिनके द्वारा सभी मतगणना केन्द्रों के परिणामों को संकलित कर अन्तिम परिणाम तैयार किया जाएगा।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–23

प्ररूप–42 ख

नगर निगम ....जनपद..............................के महापौर के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।
चक्र सं0 .... मतगणना केन्द्र का नाम ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण			अभ्युक्ति
			विगत चक्र तक प्राप्त मतों की कुल सं0	वर्तमान चक्र में प्राप्त मतों की कुल सं0	प्रगामी मतों की कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
योग						

दिनाँक ....

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी पूरा नाम....................................
निर्वाचन क्षेत्र का नाम..

नोटः– यदि एक से अधिक मतगणना केन्द्रों पर गणना की जा रही हो तो सभी मतगणना केन्द्रों पर सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने केन्द्र के चक्रवार परिणाम तैयार करके रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित किया जाऐगा जिनके द्वारा सभी मतगणना केन्द्रों के परिणामों को संकलित कर अन्तिम परिणाम तैयार किया जाएगा।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–24

प्ररूप–42 ग

नगर निगम ....जनपद.. के महापौर के निर्वाचन हेतु डाक मत पत्रों की मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
प्रतिक्षेपित मतों की संख्या				
योग				

(क) प्राप्त डाक मतपत्रों की कुल संख्याः ....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए डाक मतपत्रों की संख्याः ....

(ग) विधिमान्य डाक मतों की संख्याः ....

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

(मुहर)

प्ररूप–42 घ

नगर निगम ....जनपद............................के महापौर के निर्वाचन हेतु चक्रवार मतगणना का परिणाम।

मतगणना केन्द्र का नाम ....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण										प्राप्त डाक मत पत्रों की सं0	कुल योग
			चक्र संख्या											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग													

(क) कुल मतों की संख्याः ....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) किए गए मतों की कुल संख्याः ....

(ग) विधिमान्य मतों की कुल संख्याः ....

(घ) निविदत्त मतों की संख्याः ....

(ङ) डाक मतपत्रों की कुल संख्याः ....

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी

का पूरा नाम ....

(मुहर)

नोटः– 1. प्ररूप के कालम 4 से 13 के ऊपर मतगणना के समय वास्तविक चक्र संख्या अंकित की जाएगी तथा कालम 4 से 13 में तद्नुसार उम्मीदवारों को प्राप्त मतों को अंकित किया जाएगा। गणना हेतु जितने चक्रों में गणना की जाएगी, उतने कालम आवश्यकतानुसार सृजित किए जाएंगे।

2. यदि एक से अधिक मतगणना केन्द्रों पर गणना की जा रही हो तो सभी मतगणना केन्द्रों पर सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने केन्द्र के चक्रवार परिणाम तैयार करके रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित किया जाऐगा जिनके द्वारा सभी मतगणना केन्द्रों के परिणामों को संकलित कर अन्तिम परिणाम तैयार किया जाएगा।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–26

प्ररूप–42ङ

नगर निगम ....जनपद...................... ...के महापौर के निर्वाचन हेतु मतदान स्थलवार मतगणना का परिणाम।

मतदान स्थल की सं0	प्रत्याशियों के नाम											प्राप्त मतों की सं0	प्रतिक्षेपित मतों की सं0	अभ्युक्ति
	....	....		....	....	....	....	....	....	....	....			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
प्राप्त डाक मतपत्रों की सं0														
कुल योग														

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या...

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या................

(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या(क +ख)...

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या......................................

हस्ताक्षर

दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.......................................

(मुहर)

नोटः– रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नगर निगम क्षेत्र के समस्त मतदान स्थलों के परिणामों को संकलित किया जाएगा।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–27

प्ररूप–43

नगर निगम ....जनपद..के महापौर के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय एवं आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों की संख्या
1	2	3	4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या...
(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या................
(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या(क +ख)...
(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या......................................
(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम...
सम्बद्ध राजनैतिक दल का नाम ....
मतगणना का स्थान ....

हस्ताक्षर
दिनाँक .... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.......................................
(मुहर)

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–28

प्ररूप–44
निर्वाचन परिणाम पंजिका

जनपदः–

क्र0सं0	नगर निगम / नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत का नाम	पद / वार्ड का विवरण	निर्वाचन परिणाम घोषणा का दिनाँक व समय	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम एवं निर्वाचन प्रतीक	यदि उम्मीदवार राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उस राजनीतिक दल का नाम जिसके द्वारा वह खड़ा किया गया है	निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या	निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर	रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।

प्ररूप–45
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(सदस्य, नगर पंचायत)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर पंचायत .... जनपद .... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक .... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 .... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... दल का नाम/निर्दलीय .... नगर पंचायत .... के वार्ड संख्या .... से सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान.................................

दिनाँक ....

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.........................

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.................................

(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–46

निर्वाचित नगर पंचायत के सदस्य को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ... *पुत्र / पत्नी / पुत्री..नगर पंचायत................................ के वार्ड (नाम).............................वार्ड क्रमांक ....से सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ / करती हूँ

स्थान....................................
दिनाँक ....

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम...
मोबाइल नं0 ....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.........................
निर्वाचन क्षेत्र का नाम..................................
(मुहर)
दिनाँक ....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–47
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(अध्यक्ष, नगर पंचायत)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर पंचायत .... जनपद .... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक .... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 .... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... दल का नाम/निर्दलीय .... नगर पंचायत .... के अध्यक्ष पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान...
दिनाँक ....

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.......................
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.............................
(मुहर)

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–48

निर्वाचित नगर पंचायत के अध्यक्ष को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं,..*पुत्र / पत्नी / पुत्री.. निवासी... नगर पंचायत...के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ / करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम..
मोबाइल नं0 ....

स्थान....................................
दिनाँक ....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)
रिटर्निंग अधिकारी का नाम.............................
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.............................
(मुहर)
दिनाँक ....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–49
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(सदस्य, नगर पालिका परिषद्)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर पालिका परिषद् .... जनपद .... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक .... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 .... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... दल का नाम/निर्दलीय .... नगर पालिका परिषद् .... के वार्ड संख्या .... से सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान.. रिटर्निंग अधिकारी का नाम............................
दिनाँक .... निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....................................
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–34

प्ररूप–50
निर्वाचित नगर पालिका परिषद के सदस्य को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली
अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं,...*पुत्र/पत्नी/पुत्री... निवासी..नगर पालिका परिषद......................................के वार्ड (नाम) ....वार्ड संख्या........................से सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम..
मोबाइल नं0 ....

स्थान....................................
दिनाँक ....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी नाम....................................
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.............................
(मुहर)
दिनाँक ....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–51
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर पालिका परिषद् .... जनपद .... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक .... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 .... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... दल का नाम/निर्दलीय .... नगर पालिका परिषद् .... के अध्यक्ष पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान.. रिटर्निंग अधिकारी का नाम......................दिनाँक ... .
निर्वाचन क्षेत्र का नाम..............................
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–52
निर्वाचित नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.. निवासी..नगर पालिका परिषद.....................................के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम..
स्थान.....................................
मोबाइल नं0 ....
दिनाँक ....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी का नाम..................................
निर्वाचन क्षेत्र का नाम..............................
(मुहर)
दिनाँक ....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–53
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(पार्षद, नगर निगम)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर निगम .... जनपद .. .. एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक .... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 .... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... दल का नाम/निर्दलीय .... नगर निगम .... के वार्ड संख्या .... से पार्षद पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान... रिटर्निंग अधिकारी का नाम......................दिनाँक ... . निर्वाचन क्षेत्र का नाम..............................
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–54
निर्वाचित पार्षद को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं,..*पुत्र/पत्नी/पुत्री.. निवासी..नगर निगम.................................... के वार्ड (नाम)............... ....वार्ड संख्या...........................से पार्षद के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम..
मोबाइल नं0 ....

स्थान....................................
दिनाँक ....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.............................
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.............................
(मुहर)
दिनाँक ....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप–55
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(महापौर, नगर निगम)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर निगम .... जनपद .. .. एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक .... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 .... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... दल का नाम/निर्दलीय .... नगर निगम .... से महापौर पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान... रिटर्निंग अधिकारी का नाम......................
दिनाँक .... निर्वाचन क्षेत्र का नाम.............................
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

नगरीय निकाय निर्वाचन   परिशिष्ट—40

प्ररूप—56
निर्वाचित महापौर को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं,...*पुत्र/पत्नी/पुत्री... निवासी...नगर निगम....................................के महापौर के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम...
मोबाइल नं0 ....

स्थान....................................
दिनाँक ....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.............................
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.............................
(मुहर)
दिनाँक ....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिए।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–41

प्ररूप–57
गणना पर्ची

जनपद का नाम.......................................निकाय का नाम...*वार्ड संख्या.............................
पद का नामः– *अध्यक्ष/सदस्य–नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.............................
*महापौर/पार्षद–नगर निगम...
गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या..
बंडलों की संख्या..

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या	वैध मतों की संख्या
1			
2			
3			
संदिग्ध मतपत्रों की संख्या			
अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या			
योग			

हस्ताक्षर
गणन पर्यवेक्षक
टेबिल संख्या........................

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी/
सहायक रिटर्निंग अधिकारी

* जो लागू न हो उसे काट दें।

मतपत्र को अस्वीकृत करने के कारण

रिटर्निंग अधिकारी किसी मतपत्र को अस्वीकार कर देगाः–

(1) यदि उस पर कोई पर ऐसा चिह्न लगा हो, जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो, या

(2) यदि वह नकली मतपत्र हो, या

(3) यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सकती हो, या

(4) यदि इस पर किसी विशिष्ट मतदान स्थल पर उपयोग हेतु प्राधिकृत मतपत्रों की, यथास्थिति, क्रम संख्या और रूपांकन से भिन्न क्रम संख्या या रूपांकन हो, या

(5) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किया गया है, या

(6) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हो, या

(7) यदि उस पर चिह्न लगाने के लिए उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से चिह्न लगाया गया हो, या

(8) यदि मत को इंगित करने वाला चिह्न इस तरह से लगाया गया है कि यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है, या

(9) यदि मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी है, या

(10) यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

मतगणना हाल के अन्दर बैठने की व्यवस्था

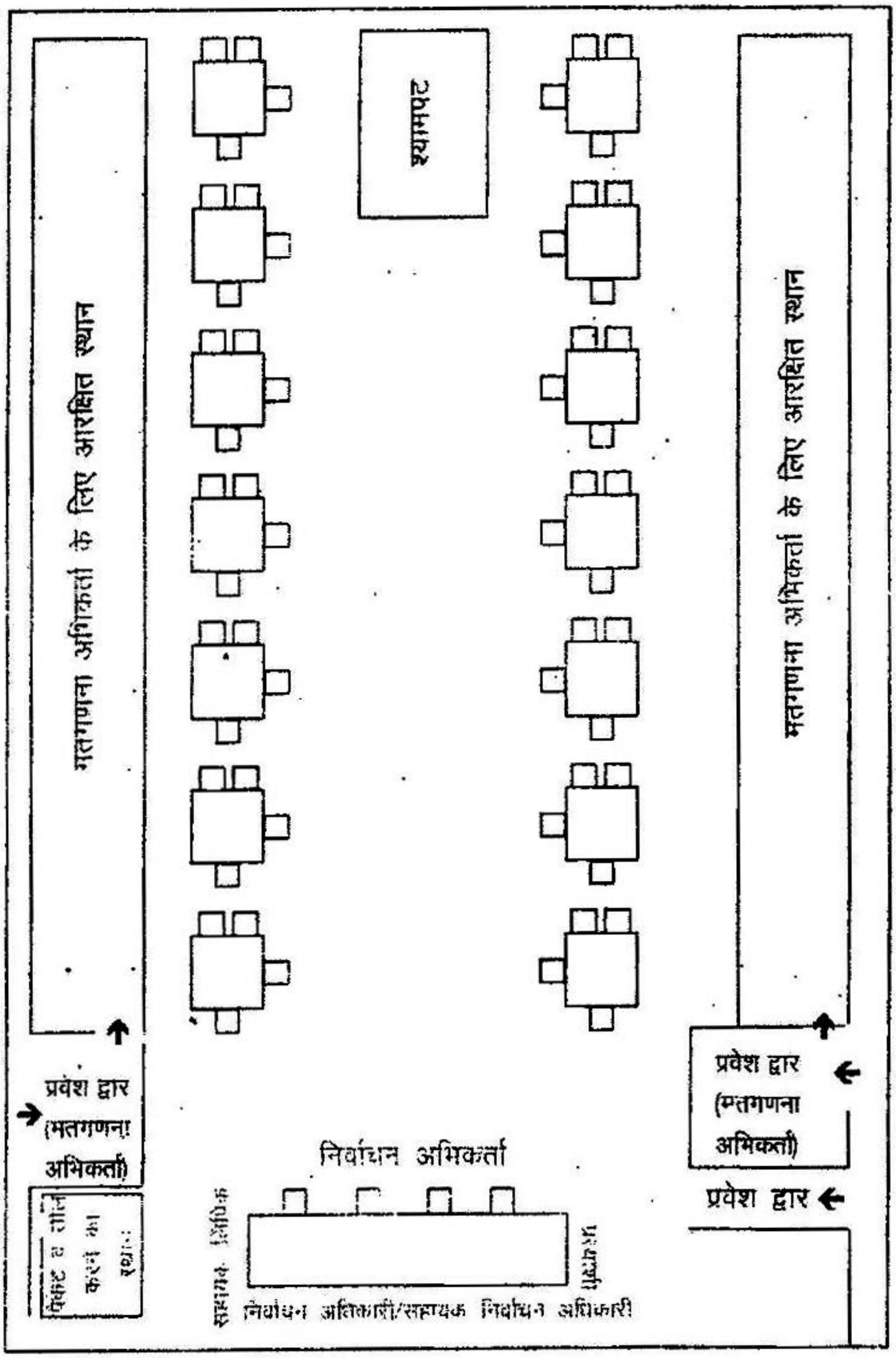

वैध मत

एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगे हैं

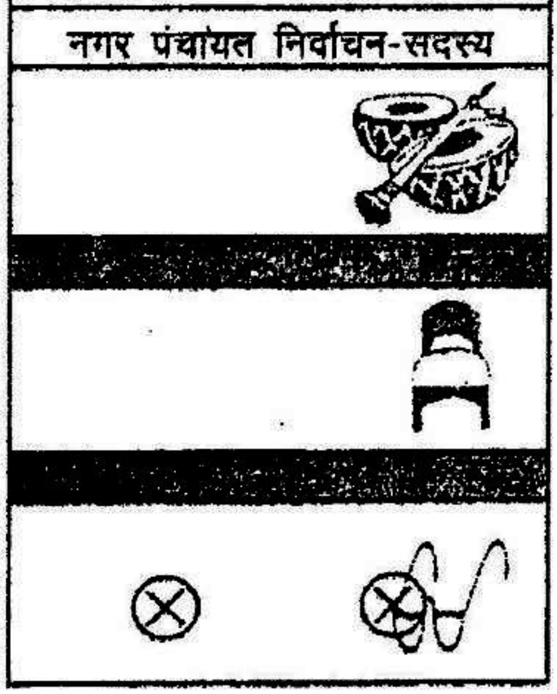

एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त छायाकृत क्षेत्र में भी चिन्ह लगा है।

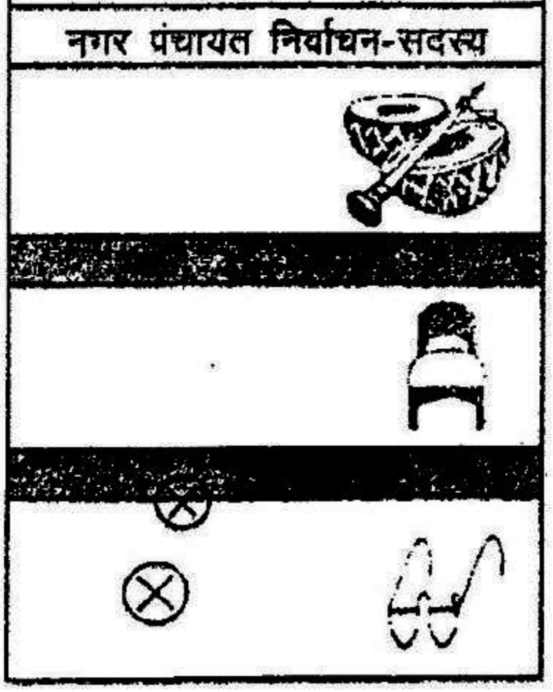

चिन्ह एक ही अभ्यर्थी के खाने में अंशत: लगा है तथा उसका शेष भाग गायब है।

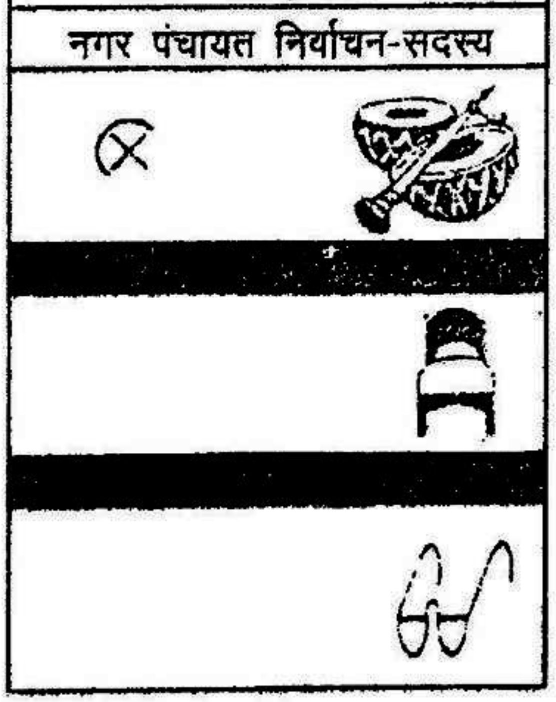

चिन्ह एक ही अभ्यर्थी के खाने में है पर चिन्ह का धब्बा किसी अन्य अभ्यर्थी के खाने में है।

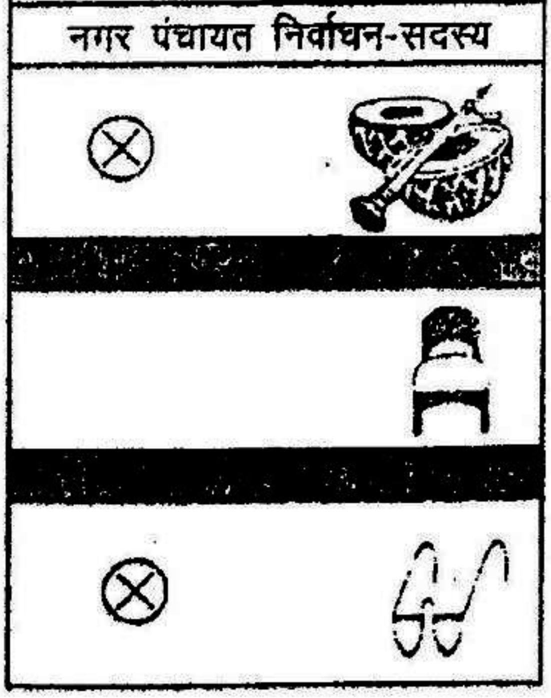

अवैध मत

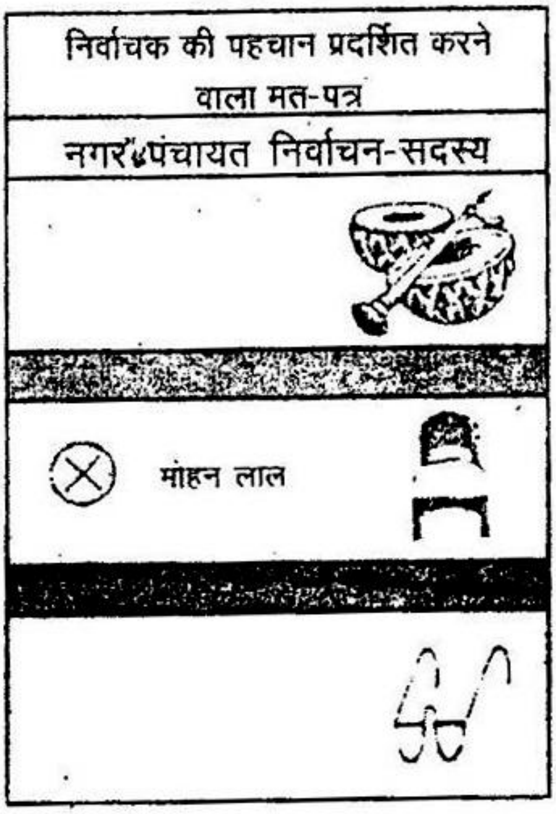
निर्वाचक की पहचान प्रदर्शित करने वाला मत-पत्र
नगर पंचायत निर्वाचन-सदस्य
मोहन लाल

एक से अधिक उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत-पत्र
नगर पंचायत निर्वाचन-सदस्य

मत अंकित किये बिना डाला गया मत-पत्र
नगर पंचायत निर्वाचन-सदस्य

चुनाव चिन्हों के विभाजित करने वाली रेखा के मध्य अंकित किया गया मत-पत्र
नगर पंचायत निर्वाचन-सदस्य